

NRIs के लिये सरकारी प्रतभूतियाँ

प्रिलमिंस के लिये

सरकारी प्रतभूतियाँ

मेन्स के लिये

NRIs के लिये सरकारी प्रतभूतियों में नविश से संबंधित प्रावधान

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने 1 अप्रैल से गैर-नवासी भारतीयों को नरिदषिट सरकारी बॉन्ड में नविश करने हेतु सक्षम बनाने के लिये एक अलग चैनल 'फुली एक्सेसबिल रूट' (Fully Accessible Route-FAR) की शुरुआत की है।

प्रमुख बदि

- उल्लेखनीय है कवित्तित मंत्री नरिमला सीतारमण बजट भाषण के दौरान कहा था क कि कुछ नशिचति श्रेणियों में बनिा कसिी प्रतबिंध के सरकारी बॉण्ड पूरी तरह से गैर-नवासी भारतीय नविशकों के लिये खोले जाएंगे।
- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के अनुसार, “योग्य नविशक कसिी भी नरिदषिट सरकारी प्रतभूत में नविश कर सकते हैं। यह योजना दो मौजूदा मार्गों अरथात् मीडियम टर्म फ्रेमवर्क (Medium Term Framework-MTF) और वोलंटरी रटिंशन रूट (Voluntary Retention Route-VRR) के साथ संचालति होगी।
- शुरुआत के रूप में केंद्रीय बैंक ने कुछ अधकि तरल और बेंचमार्क प्रतभूतियों को चुना है

लाभ

- रज़िर्व बैंक के इस नरिणय से भारत सरकार के प्रतभूत बाज़ार में गैर-नवासी भारतीयों की पहुँच को आसान कयिा जा सकेगा।
- इससे सरकारी बॉन्ड में स्थरि वदिशी नविश को बढ़ावा मल्लिगा।
- इस कदम से भारत को वैश्वकि बॉण्ड सूचकांकों में अपना स्थान खोजने में मदद मल्लिगी।
 - बाज़ार वशिलेषकों के अनुसार, वैश्वकि बॉण्ड सूचकांकों का हसिा होने से भारतीय सरकारी प्रतभूतियों को प्रमुख वैश्वकि नविशकों से बड़ी धनराशा आकशति करने में मदद मल्लिगी।

सरकारी प्रतभूतियाँ

(Government Securities)

- सरकारी प्रतभूतियाँ (G-Sec) वे सर्वोच्च प्रतभूतियाँ हैं जो भारत सरकार की ओर से भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा बेंची जाती हैं।
- ऐसी प्रतभूतियाँ अल्पकालकि या दीर्घकालकि होती हैं।
- अल्पकालकि:** आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की मेच्योरटि वाली इन प्रतभूतियों को ट्रेज़री बलि (Treasury Bill) कहा जाता है जसि वर्तमान में तीन रूपों में जारी कयिा जाता है, अरथात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन।
- दीर्घकालकि:** आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधकि की मेच्योरटि वाली इन प्रतभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दनिांकति प्रतभूतियाँ कहा जाता है।
- भारत में, केंद्र सरकार ट्रेज़री बलि और बॉण्ड या दनिांकति प्रतभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दनिांकति प्रतभूतियों को जारी करती हैं, जनिहें राज्य वकिस ऋण (State Development Loan-SDL) कहा जाता है।

गैर-नवासी भारतीय (NRI)

- अनवासी भारतीय (NRI) ऐसा भारतीय पासपोर्टधारक होता है जो कसी वततीय वर्ष में कम-से-कम 120 दनों के लये कसी अन्य देश में रहता है ।
- ध्यातव्य है की 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत कये गए बजट में वतित मंत्री नरिमला सीतारमण ने आवासीय स्थति (Residential Status) के आधार पर वयक्तियों की कर-कषमता का नरिधारण करने के लये मापदंड और अवध को संशोधति कया था । संशोधति नयिमों के अनुसार, एक वयक्त को तब भारत का साधारण नवासी (Resident) माना जाएगा, जब वह पछिले वततीय वर्ष में कम-से-कम 120 दनों के लये भारत में रहा हो, यह अवध पूर्व में 182 दनि थी ।
- NRIs को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कउनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है, जो वे भारत में कमाते हैं ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernce URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nris-can-now-invest-in-specified-govt-bonds>

